<u>न्यायालय–ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)</u>

आपराधिक प्रक0क्र0-35/13

संस्थित दिनाँक-28.01.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—एण्डोरी जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

दीपकसिंह पुत्र चन्द्रहाससिंह तोमर उम्र 25 साल निवासी ग्राम एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 13.06.2018 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.01.13 को 10:20 बजे खनेता एण्डोरी रोड सूरदास रोड के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर जोनडियर टेक्टर कमांक एम0पी0—30 ए०ए0—4585 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहतगण द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर भादिव0 की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 279 के आरोप में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 09.01.13 को फरियादी केशवसिंह अपने पुत्र वासु को मोटरसाईकिल पर बिठाकर सूरदास रोड के पास आया और मोटरसाईकिल खडी करके दशरथिसंह से बात करने लगा इतने में एक टेक्टर जोनिडियर हरे रंग का चन्द्रहास तोमर निवासी एण्डोरी के स्वामित्व का उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाईकिल पर बैठे वासु और पास में खडे दशरथ में टक्कर मार दी जिससे दोनों को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 8/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौंका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

किया ?

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —
 1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.01.13 को 10:20 बजे खनेता एण्डोरी रोड सूरदास रोड के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर जोनडियर टेक्टर क्रमांक एम0पी0—30 ए०ए०—4585 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित

_:::सकारण निष्कर्ष ::—

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, केशवसिंह अ०सा० 2, वासु अ०सा० 3, दशरथ अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- फरियादी केशवसिंह तोमर अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में घटना उनके साक्ष्य से 3–4 साल 7. पहले दिन के 10–11 बजे की होना बताते हैं। यह कथन करते हैं कि वे अपने लडके वास् के साथ मोटरसाईकिल पर बैठे थे। उनके साथ दशरथसिंह बात कर रहा था इतने में एक अज्ञात टेक्टर आया और उनकी मोटरसाईकिल से टकराया जिससे उनका लडका तथा दशरथसिंह गिर पडे, उन्हें चोट आई। टेक्टर चालक घटनास्थल से टेक्टर को ले गया। साक्षी यह कथन करते हैं कि उन्होंने घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में लिखाई थी जो प्र0पी0 1 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी मुख्य परीक्षण में टेक्टर का नंबर न मालूम होना और उसके चालक के बारे में भी पहचान से इंकार करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें उसने सूचक प्रश्न में पुनः टेक्टर कौनसी कंपनी का था, इसके संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। इस सुझाव से इंकार किया कि टेक्टर जोनडियर कंपनी का हरे रंग का था। साक्षी रिपोर्ट प्र0पी0 3 पर बी से बी भाग पर कथित जोनडियर टेक्टर हरे रंग का चन्द्रहास तोमर निवासी एण्डोरी का होने के तथ्य एवं उक्त टेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने के तथ्य को लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करते हैं। पुलिस कथन प्र0पी0 5 में भी उक्त तथ्य ए से ए भाग पर लिखाए जाने से भी इंकार करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण के फरियादी द्वारा प्रकरण में अभिकथित हरे रंग के जोनडियर टेक्टर के संबंध में उसके चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन के मामले में दुर्बलता दर्शित की गयी है।

- 8. आहत वासु अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में अपने पिता केशवसिंह अ०सा० 2 के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए अज्ञात टेक्टर द्वारा उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारने एवं टक्कर से उसके एवं दशरथिसंह के गिर जाने के संबंध में कथन किया गया है। दशरथिसंह अ०सा० 4 भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वे केशविसंह से बातचीत कर रहे थे इतने में एक टेक्टर एण्डोरी तरफ से आया जिसने मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे एवं आहत वासु को चोटें आई। साक्षीगण अपने अभिसाक्ष्य में कथित टेक्टर, उसके नंबर, उसके चालक के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षीगण ने अभिकथित टेक्टर चन्द्रहास का होने और उसे उसके चालक द्वारा उपेक्षा और उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से इंकार किया है। साक्षीगण ने पुलिस कथन कमशः प्र०पी० 6 व 7 में उक्त तथ्य के संबंध में लिखाए जाने से इंकार किया है। प्रकरण में स्वयं आहतगण द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के द्वारा कथित टेक्टर को चलाने के संबंध में इंकार किया है। फरियादी केशविसंह अ०सा० 2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त द्वारा टेक्टर चलाने के तथ्य से इंकार किया है।
- 9. अभियोजन का यह तर्क है कि अभियुक्त से आहतगण द्वारा राजीनामा कर लिए जाने के कारण उनके द्वारा मामले का समर्थन नहीं किया गया है। आहतगण एवं फरियादी ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त से राजीनामा का तथ्य अवश्य स्वीकार किया है, किन्तु अभिकथित राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने से इंकार किया है। संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष सिद्ध करे कि घटना के समय सार्वजनिक मार्ग पर वाहन का संचालन आरोपित व्यक्ति द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से किया जा रहा था। प्रकरण में स्वयं आहतगण ने कथित टेक्टर के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाने के संबंध में स्पष्टतः इंकार किया है। जहां तक प्रणीण 3 की प्राथमिकी एवं प्रणीण 5, 6 व 7 के पुलिस कथनों का प्रश्न हैं तो वे स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के रूप में विरोधाभास एवं लोप को रेखांकित किए जाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से अधिरोपित आरोप के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध सारवान साक्ष्य का अभाव है। साक्षी डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 की अभिसाक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। अतः राजीनामा हो जाने के कारण उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं हैं।
- 10. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञाबान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त

संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.01.13 को 10:20 बजे खनेता एण्डोरी रोड सूरदास रोड के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर जोनडियर टैक्टर क्रमांक एम0पी0—30 ए०ए0—4585 को सार्वजिनक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टेक्टर क्रमांक एम0पी0—30 ए0ए0—4585 पूर्व से वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में हैं, अतः अपील अविध पश्चात् सुपुर्दगीनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- **13.** अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ALLEN SHAPEN SUNT

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश